न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर– तृतीय, जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 17/2022
3. उनवान : 1. शोभाग कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री उमराव सिंह
   2. मोती सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री उमराव
   3. ज्योति कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री उमराव सिंह
   4. महिपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री उमराव सिंह
   5. लोकेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री उमराव सिंह

   समस्त जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम आकावाली तराई, वार्ड नम्बर 1 हाल तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर (राज)

   (वारीसान उमराव सिंह पुत्र श्री गणपत सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम आकावाली तराई, वार्ड नम्बर 1 हाल तहसील किशनगढ़ रेनवाल (पुरानी तहसील फुलेरा), जिला जयपुर (राज)

–अपीलांट

बनाम

1. बाबूलाल कुमावत पुत्र नारायणलाल कुम्हार जाति कुम्हार हाल निवासी 3/4, संयोगपुरी कालोनी रिंग रोड, वेलोसिटी टाकिज के सामने विजयनगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
2. पूरणमल कुमावंत पुत्र नारायणलाल कुम्हार जाति कुम्हार हाल निवासी डी–1 श्रीरामनगर झोटवाडा जयपुर (राज)।
3. रामचन्द्र कुमावत पुत्र नारायणलाल कुम्हार जाति कुम्हार हाल निवासी डी–1, श्रीरामनगर झोटवाडा जयपुर राजस्थान।
4. रामनिवास कुमावत पुत्र नारायणलाल कुम्हार जाति कुम्हार निवासी बासडी खुर्द तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर

   (क्रम सख्या 1 से 4 वारीसान तीजादेवी तथाकथित पुत्री गोदु पुत्र पन्ना कुम्हार)
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिलाधीश महोदय, जयपुर जिला जयपुर कार्यालय कलेकट्रेट परिसर कलेक्ट्रेट सर्किल बनीपार्क जयपुर
6. श्रीमान तहसीलदार तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर कार्यालय तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर जरिये राजस्थान सरकार
7. श्रीमान नायब तहसीलदार तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर कार्यालय तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर
8. श्रीमान पटवारी महोदय किशनगढ़ रेनवाल तहसील

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।

9. श्रीमान उप पंजीयन महोदय, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।

10. श्रीमान अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक एवं पंजियन विभाग), जयपुर जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, बनीपार्क, जयपुर।

11. श्रीमान कनिष्क अभियन्ता, तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

12. श्रीमान सहायक अभियन्ता, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर 13. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।

14. श्रीमान मुख्य अभियन्ता महोदय, राम मंदिर, रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर

—रेस्पोडेन्ट्स/प्रत्यर्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 29/08/2024

5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री गणेश विजय वर्गीय अपीलांट की ओर से।

ब) अधिवक्ता श्री गोविन्द शर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगा. 14 की ओर से।

स) पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगा. 10 की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पति/पिता का नाम उमरावसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह राजपूत है, जिनका स्वर्गवास दिनांक 07.05.2021 को हो गया जिनके वारीसान अपीलान्ट है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की माता का नाम तीजादेवी पुत्री गोदू कुम्हार निवासी रेनवाल तहसील फुलेरा हाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर, जिसका स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारीसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 है। अपीलान्ट के पति/पिता उमराव सिंह ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की माता तीजा देवी के विरूद्ध एक दावा संख्या 278/2008 उनवानी उमराव सिंह बनाम तीजा देवी दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जो दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक जिला जयपुर के यहां चला, जिसमे वादी उमराव सिंह ने यह कथन दर्ज किये कि विवादित जमीन आराजी खसरा नम्बर 995 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा वाके रेनवाल, पटवार हल्का रेनवाल हाल तहसील किशनगढ रेनवाल (पुरानी तहसील फुलेरा) जिला जयपुर पर सेटलमेन्ट के पहले से वादी उमराव सिंह का अपने बुजुर्गान के समय से कब्जा काश्त चला आया है जिसको सेटलमेन्ट के समय गलती से सहवन से खातेदारी गोदु पुत्र पन्ना कुम्हार के नाम दर्ज कर दी गयी जबकि इस नाम को कोई व्यक्ति ना तो विवादित जमीन पर आज तक काबिज काश्त रहा, ना ही इस नाम का व्यक्ति किशनगढ़ रेनवाल तहसील में है जबकि इस विवादित खसरा नम्बर 995 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा वाली जमीन पर शुरू से बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त वादी उमराव सिंह चला आया है। तत्पश्चात तीजा नाम की महिला ने अपने आप को गोदु पुत्र पन्ना कुम्हार का तथाकथित वारीसान बनकर इस जमीन को अपने नाम जमा लिखा जबकि प्रतिवादी तीजा

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

गोदु पुत्र पन्ना की वारीसान नहीं थी तथा इस विवादित जमीन से तीजा का कोई लेना देना नहीं था, ना आज तक कभी उसका या उसके वारीसान का कब्जा रहा एवं विवादित जमीन खसरा नम्बर 995 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा पर शुरु से वादी उमरावसिंह व उनके बुजुर्गान का कब्जा काश्त मौके पर चला आया है तथा प्रतिवादी तीजा देवी ने वादी उमरावसिंह की कब्जे काश्त की जमीन गलत तरीके से अपने नाम इन्द्राज करा ली जिसकी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा वादी उमराव सिंह प्राप्त करने का अधिकारी है, इत्यादि कथन करते हुए वादी उमरावसिंह द्वारा प्रतिवादी तीजा देवी वगैरह के विरुद्ध दावा घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसमें मातहत न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2012 को निर्णय कर वादी उमराव सिंह का वाद खारिज कर दिया। जिसकी अपील अपीलान्ट के पति/पिता स्वर्गीय उमराव सिंह एवं उक्त प्रतिवादी तीजा देवी द्वारा दो अलग–अलग अपील मा0 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर में पेश की जिसमें निर्णय दिनांक 02.04.2018 यह आदेश पारित किया गया कि प्रकरण में तीजा के गोदु का वारिस होना अथवा नही होना विवादास्पद है, जिसका निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना सम्भव है, जब तक सिविल न्यायालय द्वारा उक्त विवाद का निस्तारण नहीं कर दिया जाता है, वर्तमान राजस्व रिकार्ड को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2012 निरस्त किये जाते हैं। वादग्रस्त भूमि के बाद प्रस्तुति से पूर्व के राजस्व रिकार्ड को यथावत रखा जाकर प्रकरण अधीनस्थ प्रतिप्रेषित किया गया तथा सिविल न्यायालय से निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित किया जावे। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर जिला जयपुर के उक्त स्टे यथास्थिति के आदेश दिनाक 02.04.2018 के बाद प्रतिवादी तीजा देवी ने तहसीलदार व पंजीयन विभाग से मिलिभगत कर विवादित जमीन खसरा नम्बर 995 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा की गिफ्टडीड दिनांक 09.05.2018 को अपने पुत्रान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम करवा ली। जबकि प्रकरण सिविल कोर्ट में लीस पेन्डींग है तथा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर जिला जयपुर पारित उक्त आदेश 02.04.2018 के तहत विवादित जमीन खसरा नम्बर 995 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा पर यथास्थिति के आदेश जारी है। तथाकथित नामान्तरण आदेश दिनांक 26.10.2020 द्वारा नामान्तरण संख्या 5225 दिनांक 20.10.2020 खुला लिया जो माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर जिला जयपुर के उक्त यथास्थिति के इन्टरिम व अन्तिम आदेश की अवहेलना है। अपीलान्ट ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकरण जयपुर जिला जयपुर के आदेश दिनाक 02.04.2018 की पालना में रेस्पोडेन्ट को एडवोकेट के माध्यम से दिनांक 06.09.2022 को विधिक नोटिस भी दिला चुका है। अपीलान्ट स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 तहसीलदार तहसील किशनगढ़ रेनवाल को एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 9 पंजीयन रेनवाल को दिनाक 7.9.2022 को आवेदन दे चुका है तथा माननीय न्यायालय राजस्व प्राधिकारी जयपुर जिला जयपुर से दिनांक 2.4.2018 की पालना अक्षरशः करने के सम्बध में दिनांक 8.9.22 को तहरीर जारी करा चुका है तथा दिनांक 14.9.2022 को जिलाधीश महोदय को अपीलीय कोर्ट की आदेश की पालना के सम्बध में आवेदन शिकायत कर चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने न्यायालय के स्टे आदेश के बावजूद अपने नाम गिफ्ट डीड कराकर तथाकथित नामान्तरण आदेश 26.10.20 के तहत तथाकथित नामान्तरण संख्या 5225 दिनाक 20.10.2020 खुला लिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 6.9.2022 को होने पर प्रमाणित नकल के लिये अपीलार्थी द्वारा आवेदन किया, जिसकी दिनांक 15.09.2022 को प्रमाणित नकल अपीलार्थी को प्राप्त हुई इसलिए जानकारी से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत अपील अन्दर मियाद पेश है।

अन्त मे निवेदन किया है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 5225 दिनांक 20.10.2020 स्वीकृत आदेश दिनांक 26.10.2020 को अपास्त व निरस्त फरमाया जावे।

अपीलांट ने अपील के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने न्यायालय के स्टे आदेश के

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

बावजूद अपने नाम गिफ्ट डीड कराकर तथाकथित नामान्तरण आदेश 26.10.20 के तहत तथाकथित नागान्तरण संख्या 5225 दिनाक 20.10.2020 खुला लिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 6.9.2022 को होने पर प्रमाणित नकल के लिये अपीलार्थी द्वारा आवेदन किया। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार अपील पेश करने में कारित विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया है।

अपीलांट ने अपील के समर्थन में अपीलाधीन नामान्तकरण खाता संख्या 225, अपील आदेशिका दिनांक 02.04.2018 अपील संख्या 67/2012, फोटो प्रति राजस्व अपील अधिकारी जयपुर की तहरीर क्रमांक 11229 दिनांक 08.09.2022, न्याया. सिविल न्यायाधीश रेनवाल एवं वादपत्र उपजिलाधीश सांभर की प्रति, सहायक कलक्टर सांभर की तहरीर क्रमांक 59 दिनांक 02.02.2021 एवं डिक्री की प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगा. 14 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द कुमार शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगा. 10 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अन्य रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हाल तहसील किशनगढ़ रेनवाल (पुरानी तहसील फुलेरा) जिला जयपुर पर सेटलमेन्ट के पहले से वादी उमराव सिंह का अपने बुजुर्गान के समय से कब्जा काश्त चला आया है. जिसको सेटलमेन्ट के समय गलती से सहवन से खातेदारी गोदु पुत्र पन्ना कुम्हार के नाम दर्ज कर दी गयी जबकि इस नाम को कोई व्यक्ति ना तो विवादित जमीन पर आज तक काबिज काश्त रहा, ना ही इस नाम का व्यक्ति किशनगढ़ रेनवाल तहसील में हैं तत्पश्चात तीजा नाम की महिला ने अपने आप को गोदु पुत्र पन्ना कुम्हार का तथाकथित वारीसान बनकर इस जमीन को अपने नाम लगा लिया जबकि प्रतिवादी तीजा, गोदु पुत्र पन्ना की वारीसान नहीं थी तथा इस विवादित जमीन से तीजा का कोई लेना देना नहीं था, ना आज तक कभी उसका या उसके वारीसान का कब्जा रहा न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा दिनांक 15.02.2012 को निर्णय कर वादी उमराव सिंह का वाद खारिज कर दिया। जिसकी अपील अपीलान्ट मा0 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर में पेश की जिसमें निर्णय दिनांक 02.04.2018 द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2012 निरस्त किये गये तथा जब तक सिविल न्यायालय द्वारा उक्त विवाद का निस्तारण नहीं कर दिया जाता है, वर्तमान राजस्व रिकार्ड को यथावत रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये। यथास्थिति के आदेश दिनाक 02.04.2018 के बाद प्रतिवादी तीजा देवी ने विवादित जमीन खसरा नम्बर 995 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा की गिफ्टडीड दिनांक 09.05.2018 को अपने पुत्रान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम करवा ली। नामान्तरण आदेश दिनांक 26.10.2020 द्वारा नामान्तरण संख्या 5225 दिनांक 20.10.2020 खुला लिया। अपीलान्ट माननीय न्यायालय राजस्व प्राधिकारी जयपुर जिला जयपुर से दिनांक 2.4.2018 की पालना अक्षरशः करने के सम्बध में दिनांक 8.9.22 को तहरीर जारी करा चुका है तथा दिनांक 14.9.2022 को जिलाधीश को अपीलीय कोर्ट की आदेश की पालना के सम्बध में आवेदन शिकायत कर चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने न्यायालय के स्टे आदेश के बावजूद अपने नाम गिफ्ट डीड कराकर नामान्तरण आदेश 26.10.20 के तहत नामान्तरण संख्या 5225 दिनाक 20.10.2020 खुला लिया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 6.9.2022 को होने पर प्रमाणित नकल के लिये अपीलार्थी द्वारा आवेदन किया, जिसकी दिनांक 15.09.2022 को प्रमाणित नकल अपीलार्थी को प्राप्त हुई। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 5225 दिनांक 20.10.2020 स्वीकृत आदेश दिनांक 26.10.2020 को आपस्त व निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

शोभाग कंवर बनाम बाबूलाल वगै0

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया गया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर धारा 5 के प्रार्थना पत्र के लिए न्यायालय का मत है "अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को विलम्ब के कारणों पर निर्णय करने के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ प्रथम दृष्ट्या किसी पक्षकार के हितों के लिए उसे अवसर दिया जाना न्यायोचित हो, वहाँ विलम्ब के कारणों पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकार को अपना पक्ष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है। RRT 2018(1) Balmet & Others v/s State of Rajasthan में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने स्पष्ट किया है कि "Delay is not fatal when the mutation is illegal"

इसलिए विलम्ब के बिन्दु पर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दोनों अपील में स्वयं तीजा देवी एक अपील में बतौर अपीलाण्ट व दूसरी अपील में बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार थी, इसलिए तीजा देवी को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 02/04/2018 को पारित आदेश की पूर्ण जानकारी थी। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के आदेश दिनांक 02/04/2018 में अंकित है कि "तनकीवार विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि गोदू वल्द पन्ना की खातेदारी में दर्ज रही है तथा वर्तमान में यह तीजा पुत्री गोदू के नाम से जरिये नामान्तरकरण दर्ज हुई है। वादी उमराव सिंह द्वारा प्रस्तुत दावा तनकी संख्या 1 पर पारित निर्णय अनुसार साबित नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है। प्रकरण में तीजा के गोदू का वारिस होना अथवा नहीं होना विवादास्पद है जिसका निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा सम्भव है। जब तक सिविल न्यायालय द्वारा उक्त विवाद का निस्तारण नहीं कर दिया जाता है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवेचन से प्रस्तुत अपील 67/2012 व 135/2012 आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाती है। अतः उक्त दोनों अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15–02–2012 निरस्त किये जाते है। वादग्रस्त भूमि के वाद प्रस्तुति से पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड को यथावत रखा जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम तनकी नम्बर तीन को वास्ते निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय में प्रेषित किया जावे तथा सिविल न्यायालय से निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित किया जावे।" राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 02/04/2018 के उक्त आदेश द्वारा अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 995 रकबा 02 बीघा 7 बिस्वा रेनवाल, पटवार मण्डल रेनवाल में राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति का आदेश पारित किया था, रेस्पोडेन्ट 1 ता 4 की माता तीजा देवी को उक्त आदेश/निर्णय की जानकारी होते हुए भी तीजा देवी द्वारा दिनांक 09/05/2018 को अपने पुत्रान् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पक्ष में गिफ्ट डीड करवा दी गई, गिफ्ट डीड के अनुसार तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 955 दिनांक 26.10.2020 स्वीकृत किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश होने के बावजूद नामान्तकरण स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया जाना गलत व नियम विरुद्ध है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 5225 दिनांक 20.10.2020 को खारिज किया जाता है। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर